प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' तेईस '

[23/2/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1389]

परिशिष्ट–एक

द्वारा विधायक– श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल सदन में उत्तर देने की तिथि 23/02/2017

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र.1389

(अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर के अनुसार प्रश्नाश "क" की जानकारी)

(i) कार्यालय द्वारा जानकारी सही भेजी गई है। जिन तिथियों में 'not reach' लेख किया गया है, उसका तात्पर्य यह है, कि मान्नीय उच्च न्यायालय में उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु नियत था एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के बावजूद भी उस प्रकरण का नंबर न्यायालय कार्य समाप्त होने तक उस दिन सुनवाई तक नहीं पहुँच सका ।

(ii) जो प्रकरण दैनिक कॉजलिस्ट में न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नियत होते हैं, उनकी सुनवाई न्यायालय के समक्ष कॉजलिस्ट में दर्शाए गए क्रम अनुसार ही होती है एवं जो प्रकरण उस दिन सयमाभाव के कारण सुनवाई में नहीं पहुँच पाते हैं, उन प्रकरणों में न्यायालय के रीडर द्वारा ही 'not reach' अंकित कर अगली सुनवाई तिथि में लिए जाने हेतु रोलओवर कर दिए जाते है। यह एक सामान्य न्यायालयीन प्रकिया है एवं जिन प्रकरणो में समयाभाव में सुनवाई में न आने के कारण 'not reach' अंकित किया जाता है, उन्हें रजिस्ट्रार कार्यालय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई हेतु आगामी तिथि में नियत किया जाता है।

(iii) उक्त न्यायालयीन प्रकिया के अंतर्गत प्रकरणों के समक्ष 'not reach' लिखे जाने का तात्पर्य यह नहीं है, कि शासकीय अधिवक्ता उस प्रकरण में सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष नहीं पहुँचे या उपस्थित नहीं हुए बल्कि 'not reach' का तात्पर्य है 'case not reach for hearing' ।

(iv) दी गई जानकारी से स्पष्ट है, कि जिन तिथियों पर प्रकरण न्यायालय द्वारा 'not reach' अंकित किए गए वे पुनः आगामी तिथि पर सुनवाई हेतु लगे एवं कॉजलिस्ट के नियत नंबर पर यदि प्रकरण सुनवाई हेतु नहीं आया तो उसे पुनः 'not reach' दर्शाया गया तथा नंबर सुनवाई तक पहुँचने पर प्रकरण में सुनवाई की गई तथा न्यायालय द्वारा उस दिनांक पर उचित आदेश पारित किया गया ।

(v) महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा प्रतिदिन समय पर प्रकरण न्यायालय के समक्ष भेज दिए जाते हैं। 'case not reach' की प्रकिया का संबंध महाधिवक्ता कार्यालय से नहीं है, बल्कि यह उच्च न्यायालय की सामान्य प्रकिया है।

(vi) चूँकि किसी भी अधिकारी द्वारा गलत जानकारी नहीं दी गई है, जो जानकारी भेजी गई है, वह सत्य व सही है, इसलिए किसी अधिकारी का नाम देने की आवश्यकता नहीं है।

द्वारा विधायक– श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल सदन में उत्तर देने की तिथि 23/02/2017

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र.1389

(अतिरिक्त महाधिवक्ता उच्च न्यायालय जबलपुर के अनुसार प्रश्नाश ''घ'' की जानकारी)

प्रकरण में दिनाक 31.01.2011 से 29.02.2016 तक की सुनवाई तिथियों के दौरान शासन द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जानकारी इस प्रकार है :–

(क) प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री अमर सिंह चंदेल, उप सचिव को प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया तथा जिनके माध्यम से मुख्य प्रकरण याचिका क. 1942/2011 – आर. बी.राय एवं अन्य विरूद्ध राज्य शासन एवं अन्य में शासन की ओर से जबाबदावा दिनांक 25.09.2012 को प्रस्तुत किया गया ।

(ख) जबाबदावा के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किए गए :

(i) विभागवार स्वीकृत, निर्धारित, भरे गए, बैकलॉग व रिक्त पदों की जानकारी ।

(ii) आदिमजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था भोपाल का मध्यप्रदेश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक पिछड़ापन पर वर्ष 2002 एवं 2011–12 की स्थिति में एक तथ्यात्मक प्रतिवेदन ।

(iii) माननीय उच्चतम न्यायालय में मध्यप्रदेश शासन की स्टेण्डिग कौंसिल श्रीमती विभादत्त माखीजा द्वारा एसएलपी (सी) – 4915–4919/2003 प्रकरण की स्थिति के संबंध में लिखा गया पत्र दिनांक 05.07.2012 ।

(iv) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका (सिविल) 61/2002 – एम. नागराज एवं अन्य वि. यूनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 18.03.2010 को पारित आदेश की प्रति ।

(v) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) – 4915–4919/2003 – सी.पी.माथुर एवं अन्य वि. राज्य शासन में पारित आदेश दिनांक 13.09.2010 ।

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति के नए नियम बनाने विषयक मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 में संधारित टीप / पत्र व्यवहार नस्ती (फाईल क. सी–3–18/ 2001/तीन) का अभिलेख ।

(ङ.) श्री आर. एन. चौहान, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सप्लीमेंट्री जवाब दिनांक 10.06.2014 को तैयार कराकर प्रकरण में प्रस्तुत किया गया जिसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किए गए :

(i) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति नियम 2002 में किए जाने वाले संशोधन की केबिनेट की संक्षेपिका दिनांक 11.03.2002 ।

(ii) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) नियम 2002 की अधिसूचना दिनांक 07.05.2002 की प्रति ।

(च) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनूसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) संशोधित अधिनियम 2002 क. 10 सन् 2002 से संबंधित टीप / पत्र व्यवहार (फाईल क. एफ–6(1) 2002/अ.प्र./एक) की नस्ती ।

(छ) अकीला हशमत, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा के.जी. वर्मा, निदेशक– कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नईदिल्ली द्वारा एम. नागराज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में पारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संबंध में जारी पत्र दिनांक 29.03.2007 को संलग्न करते हुए जारी पत्र दिनांक 05.06.2017 ।